

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
बल्लभ भवन, भोपाल-462004

12-19

क्रमांक स्फ 73-79/2006/20-1,

भोपाल, दिनांक 28-06-07

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रोत बिहार, नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था मारेथोमा हा. से. स्कूल, सेक्टर ती, तुबलियाँ,

इन्दौर (म.प्र.)
को सी.बी.एस.ई./~~मारेथोमा हा. से. स्कूल, नई दिल्ली~~ से सम्बन्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने कायदा।

राज्य शासन द्वारा अशासकीय संस्था मारेथोमा हा. से. स्कूल,
सेक्टर ती, तुबलियाँ, इन्दौर (म.प्र.) को सी.बी.एस.ई./~~मारेथोमा हा. से. स्कूल,~~
मारेथोमा हा. से. स्कूल, नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर
दिया जाता है:-

प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं, उनका काम
प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल लके इस हेतु
संस्था की कार्यकारिणी में म.प्र. मा.ध्यमिक शिक्षा मण्डल के
प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाये।

विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक
एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों को गतिविधियों के
लिए खेल का मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकता-
नुसार उपलब्ध करायेगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखाया
जाये।

इन संस्थाओं के केंद्रालय में अनिवार्यता को सिद्धांत प्राप्त होने
पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण /
जांच करने का अधिकार होगा।

दिनांक 28-06-07